न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग

इजलाश श्री सुनील कुमार झिगोनिया आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 115/2017

1–हुकमचन्द पुत्र धनसिंह

2–रामचन्द पुत्र धनसिंह

जतियान माली निवासी करबा कामां तहसील कामां जिला डीग

प्रार्थीगण

बनाम

1–रमेश पुत्र रामदास जाति खत्री निवासी कुट्टी मौहल्ला कामां तहसील कामां

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

1– श्री त्रिलोकचन्द सैनी , अमित शर्मा प्रार्थी अधिवक्ता

2– श्री ~~[illegible]~~ शर्मा अप्रार्थी अधिवक्ता

[illegible]

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 20.03.2024

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि आराजी मुतदाविया खाता संख्या 354 का आराजी नम्बर 3984/0.15, हैक्टर वाके कस्बा कामां नं0 2 में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । वादीगण की उक्त आराजी में करीब 200 वर्ष प्राचीन भैरों व शिव मंदिर बना हुआ है तथा कुछ हिस्से में कीकर, नीम बबूल आदि के पेड खडे हुए है तथा कुछ हिस्से को वादीगण कृषि कार्य में व कृषि का सामान रखने के काम में ले रहे है । आस पास के लोग उक्त खसरा नम्बर में बने प्राचीन भैरों व शिव मंदिर के आस पास शौच कर जाते थें तो इस कारण 6–7 वर्ष पूर्व मंदिर के पूरबी हिस्से में जन सहयोग किया था । मंदिर के पश्चिम दिशा की दीवार पैसे के अभाव की बजह से नहीं हो पाई । मंदिर के पश्चिम दिशा में भी मंदिर से करीब 50 फीट दूरी तक खसरा नम्बर 3984/0.15 हैक्टर की भूमि है । प्रतिवादी नं01 मंदिर के पूरवी दीवार की आड में मंदिर के पश्चिमी दिशा में उक्त खसरा नम्बर की करीब 50 फीट लम्बाई की भूमि पर अतिकमण करना चाहता है और मंदिर को भी नष्ट करके खसरा नम्बर 3984 की भूमि को अपने मैरिज होम की भूमि में मिलाकर मैरिज होम का विस्तार कर अतिकमण करना चाहता है । प्रतिवादी ने प्राचीन मंदिर शिवलिंग व भैरों के दरवाजे को चिनवा दिया था और मदिर की छत को कुदाल व सब्बलों से उखाड दिया था । मिट्टी डालकर मंदिर के प्रवेश द्वार को अवरूद्ध कर दिया जिससे प्रार्थी व उक्त मंदिर पर पूजा करने वाले भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची । इसके अलावा खसरा नम्बर 3984 में बना हुआ था उसको भी पाटकर बंद कर दिया था । जिस सन्दर्भ में वादी सं0 2 ने कामां थाने पर एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी। जिसमें तफतीश अधिकारी द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ चार्जशीट (आरोप पत्र)माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0 कामां के न्यायालय में पेश किया था । जिसका विचारण आज भी चल रहा है । आ0ख0नं0 3984 में बने हुए प्राचीन मंदिर को नष्ट करने के लिए अपने मजदूरों को बुलबा लिया और आस पास कीकर वगैरा पेडों को काटने का प्रयास किया । पता लगा तो मुश्किल से रोका । प्रतिवादी ने ऐलानियां कहा कि आज तो तुमने मुझे मंदिर को नष्ट करने से रोका अब दीपावली की छुटटी में आराजी खसरा नम्बर 3984 में बने प्राचीन शिवलिंग व भैरो मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा और आराजी खसरा नम्बर 3984 की सम्पूर्ण भूमि का कब्जा करके अपने मैरिज होम की भूमि में मिला दूंगा । प्रतिवादी का मैरिज होम भी रामजी मंदिर की भूमि में है जो अवैध रूप से बना हुआ है । वह आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 3984/0.15 हैक्टर वाके कस्बा कामां नं0 2 में बने शिवमंदिर व भैरों मंदिर को तोडफोड कर नष्ट ना करें । तथा वादीगण के उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर जबरन लट्ठ व ताकत के बल पर कब्जा नाजायज ना करें एवं वादीगण को उक्त आराजी भूमि से जबरन बेदखल ना करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे वादीगण के हितों पर व धार्मिक भावनाओं पर कोई कुठाराघात पहुंचे । जरिये डिकी हुकम इम्तनाई दवामी पाबन्द फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर्ड किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता ने जबाव पेश किया कि विवादित आराजी ख0नं0 3984 में कोई भैरो व शिवमंन्दिर नहीं है । बल्कि आराजी खसरा नम्बर 3984 व 3983 के मध्य बाउण्ड्री पुख्ता 40 वर्ष पुरानी मौके

उपखण्ड अधिकारी

पर बनी हुयी है शिव मंदिर 3983 में बना हुआ है । जो प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी का रकवा है जमीन में जो नीम व अन्य पेड है अपनी जमीन की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी द्वारा लगाये गये हैं । दीवार दोनो खसरा नम्बरान के मध्य प्रतिवादी के पिता ने 40 वर्ष पूर्व बनवायी थी मंन्दिर व उसकी आसपास की जमीन से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है । दीवार प्रतिवादी के पिता ने निर्माण करायी थी मन्दिर निजी है जो प्रतिवादी के पिता ने अपने पास जमीन मे सेवा पूजा हेतु निर्माण कराया जिससे वादीगण का कोई सरोकार नही है दीवार किसी भी जन सहयोग से नही बनवायी गयी पश्चिम दिशा में प्रतिवादी की खातेदारी का रकवा 3983 मन्दिर के पूरब में 50 फीट पूरब दिशा तक किसी प्रकार की कोई खसरा नम्बर 3984 की भूमि नहीं है बल्कि मन्दिर सहित समस्त भूमि 3983 की है वादीगण काबिले खारिज है । दीवार के पश्चिम में किसी प्रकार की कोई भूमि ख0नं0 3984 की नहीं है बल्कि दीवार के पश्चिम में प्रतिवादी रमेश की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3983 है । प्रतिवादी को स्वयं की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । प्रतिवादी ने किसी भी निज मन्दिर में कोई तोडफोड नहीं की बल्कि प्रतिवादी को अपने निजी मन्दिर का जीणेद्धार कराने का अधिकार है । वादीगण ने गलत तथ्य अंकित किये है । मन्दिर के आने जाने का रास्ता अपनी निजी भूमि में से है । तथा मन्दिर भी अपनी निजी भूमि में है । मन्दिर व कुआ खसरा नम्बर 3983 में बना हुआ है । ना कि आ0ख0नं0 3984 में बना हुआ है । प्रतिवादी की कीमती जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं । इसी कारण नाजायज दबाव बनाने की नियत से यह झूठा मुकदमा किया है । प्रतिवादी की जमीन का कोई रैफरैन्स वर्तमान में विचाराधीन नहीं है । तथा प्रतिवादी को कोई धमकी किसी प्रकार की नहीं दी है । प्रतिवादी की अपने जमीन का उपयोग अपनी इच्छानुसार करने से वादीगण को कोई नुकसान या अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । अत प्रार्थना काबिले खारिज है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी स0 2067–2070 2074–2077 नामान्तकरण संख्या 5107 फोटो प्रति सलग्न की है । फोटो प्रति बयनामा, फोटो प्रति दाखिल खारिज, फोटो प्रति नक्शा, फोटो प्रति मिलान सलग्न की है ।

प्रार्थी की ओर से चार्ज शीट सरकार बनाम रमेश एफ.आई.आर. 175/12पीएस, फोटो प्रति नक्शा मौका, फोटो प्रति 161 सी0पी0सी0 बयान किता 7 फोटो प्रति जमाबन्दी सं02029, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस पुराना, फोटो प्रति नक्शा नया, जमाबन्दी सं0 2074,–2077, 2047–50, 2067–70 नकल पेश की है । और कोई दस्तावेज शामिल नहीं किये गये है ।

हमने पत्रावली का उभयपक्षकारान की बहस सुनी प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा । आराजी मुतदाविया खाता संख्या 354 का आराजी नम्बर 3984/0.15, हैक्टर वाके कस्बा कामां नं0 2 में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । वादीगण की उक्त आराजी मे करीब 200 वर्ष प्राचीन भैंरों व शिव मंदिर बना हुआ है तथा कुछ हिस्से में कीकर, नीम बबूल आदि के पेड खडे हुए है तथा कुछ हिस्से को वादीगण कृषि कार्य में व कृषि का सामान रखने के काम मे ले रहे है आस पास के लोग उक्त खसरा नम्बर में बने प्राचीन भैरो व शिव मंदिर के आस पास शौच कर जाते थे इस कारण 6–7 वर्ष पूर्व मंदिर के पूरबी हिस्से में जन सहयोग किया था । मंदिर के पश्चिम दिशा की दीवार पैसे के अभाव की बजह से नहीं हो पाई 1 मंदिर के पश्चिम दिशा में भी मंदिर से करीब 50 फीट दूरी तक खसरा नम्बर 3984/0.15 हैक्टर की भूमि है । प्रतिवादी नं01 मंदिर के पूरवी दीवार की आड में मंदिर के पश्चिमी दिशा में उक्त खसरा नम्बर की करीब 50 फीट लम्बाई की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है और मंदिर को भी नष्ट करके खसरा नम्बर 3984 की भूमि को अपने मैरिज होम की भूमि मे मिलाकर मैरिज होम का विस्तार कर अतिक्रमण करना चाहता है । प्रतिवादी ने प्राचीन मंदिर शिवलिंग व भैरों के दरवाजे को चिनवा दिया था और मदिर की छत को कुदाल व सब्बलों से उखाड दिया था । मिट्टी डालकर मंदिर के प्रवेश द्वार को अवरूद्ध कर दिया जिससे प्रार्थी व उक्त मंदिर पर पूजा करने वाले भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची । इसके अलावा खसरा नम्बर 3984 में बना हुआ था उसको भी पाटकर बंद कर दिया था । जिस सन्दर्भ में वादी सं0 2 ने कामां थाने पर एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी। जिसमें तफतीश अधिकारी द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ चार्जशीट (आरोप पत्र)माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायि मजि0 कामां के न्यायालय में पेश किया था । जिसका विचारण आज भी चल रहा है । आ0ख0नं0 3984 में बने हुए प्राचीन मंदिर को नष्ट करने के लिए अपने मजदूरों को बुलबा लिया और आस पास कीकर वगैरा पेडों को काटने का प्रयास किया । पता लगा तो मुश्किल से रोका । प्रतिवादी ने ऐलानियां कहा कि आज तो तुमने मुझे मंदिर को नष्ट करने से रोका अब दीपावली की छुटटी में आराजी खसरा नम्बर 3984 में बने प्राचीन शिवलिंग व भैंरो मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा और आराजी खसरा नम्बर 3984 की सम्पूर्ण भूमि का कब्जा करके अपने मैरिज होम की भूमि में मिला दूंगा । प्रतिवादी का मैरिज होम भी रामजी मंदिर की भूमि में है जो अवैध रूप से बना हुआ है । वह आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 3984/0.15 हैक्टर

उप खण्ड अधिकारी

वाके कस्बा कामां नं0 2 में बने शिवमंदिर व भैरों मंदिर को तोडफोड कर नष्ट ना करें । तथा वादीगण के उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर जबरन लट्ठ व ताकत के बल पर कब्जा नाजायज ना करें एवं वादीगण को उक्त आराजी भूमि से जबरन बेदखल ना करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे ।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जबाव के लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि विवादित आराजी ख0नं0 3984 में कोई भैरो व शिवमंन्दिर नहीं है । बल्कि आराजी खसरा नम्बर 3984 व 3983 के मध्य बाउण्ड्री पुख्ता 40 वर्ष पुरानी मौके पर बनी हुयी है शिव मंदिर 3983 में बना हुआ है । जो प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी का रकवा है जमीन में जो नीम व अन्य पेड है अपनी जमीन की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी द्वारा लगाये गये हैं । दीवार दोनो खसरा नम्बरान के मध्य प्रतिवादी के पिता ने 40 वर्ष पूर्व बनवायी थी मंन्दिर व उसकी आसपास की जमीन से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है । दीवार प्रतिवादी के पिता ने निर्माण करायी थी मन्दिर निजी है जो प्रतिवादी के पिता ने अपने पास जमीन मे सेवा पूजा करने हेतु निर्माण कराया जिससे वादीगण का कोई सरोकार नहीं है दीवार किसी भी जन सहयोग से नही बनवायी गयी पश्चिम दिशा में प्रतिवादी की खातेदारी का रकवा 3983 मन्दिर के पूरब में 50 फीट पूरब दिशा तक किसी प्रकार की कोई खसरा नम्बर 3984 की भूमि नहीं है बल्कि मन्दिर सहित समस्त भूमि 3983 की है वादीगण काबिले खारिज है । दीवार के पश्चिम में किसी प्रकार की कोई भूमि ख0नं0 3984 की नहीं है बल्कि दीवार के पश्चिम में प्रतिवादी रमेश की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3983 है । प्रतिवादी को स्वयं की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । प्रतिवादी किसी भी निज मन्दिर में कोई तोडफोड नहीं की बल्कि प्रतिवादी को अपने निजी मन्दिर का जीणैद्वार कराने का अधिकार है । वादीगण ने गलत तथ्य अंकित किये है । मन्दिर के आने जाने का रास्ता अपनी निजी भूमि में से है । मन्दिर व कुआ खसरा नम्बर 3983 में बना हुआ है । ना कि आ0ख0नं0 3984 में बना हुआ है । प्रतिवादी की कीमती जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं । इसी कारण नाजायज दबाव बनाने की नियत से यह झूंठा मुकदमा किया है । प्रतिवादी की जमीन का कोई रैफरैन्स वर्तमान में विचाराधीन नहीं है । तथा प्रतिवादी को कोई धमकी किसी प्रकार की नहीं दी है । प्रतिवादी की अपने जमीन का उपयोग अपनी इच्छानुसार करने से वादीगण को कोई नुकसान या अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । अतः प्रार्थना काबिले खारिज है ।

हमने पक्षकारान अधिवक्तागण की बहस को सुना । तथा मनन किया तथा प्रार्थी द्वारा मन्दिर की भूमि खसरा नम्बर 3984 में भैरों व शिवमंदिर होना बताया है । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में भैरो व शिवमंदिर के क्षेत्राधिकार को लेकर समस्या होना अवगत कराया है और सम्पूर्ण बहस भी मंदिर के विषय में ही की गई । कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि किस प्रकार अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे , क्या कृषि कार्य में क्या रूकावट पैदा कर रहे हैं , खातेदारी से बेकब्जा बेदखल कर रहे हैं । अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना किसी भी प्रकार से 212 को आकर्षित नहीं करता है ।

अतः आदेश है कि इस न्यायालय द्वारा जारी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी कामां (डीग)